

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 2017-भाद्र 3, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

यह है कि पूर्व में मेरा नाम मइयादीन पिता सूरजदीन था. मेरी उपजाति/उपनाम यादव है परन्तु शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में मेरी उपजाति/उपनाम यादव का उल्लेख नहीं है. मैं, अपने नाम के साथ अपनी उपजाति/उपनाम यादव जोड़ना चाहता हूँ. अतएव मेरा पूरा नाम मइयादीन यादव पिता श्री सूरजदीन (MAIYADEEN YADAV S/o SURAJDEEN) हो जायेगा. अतः गजट प्रकाशन दिनांक से मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना तथा पुकारा जाये.

पुराना नाम :

(मइयादीन)

पिता सूरजदीन

(MAIYADEEN S/o SURAJDEEN)

(296-बी.)

नया नाम :

(मइयादीन यादव)

पिता श्री सूरजदीन

(MAIYADEEN YADAV S/o SURAJDEEN)

निवासी RB-II 368/10, नेहरु रेल्वे कॉलोनी,

हाउबाग, जबलपुर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कविता शर्मा पिता श्री कैलाशचन्द्र शर्मा था. विवाह पश्चात् मेरा नाम कविता देशपाण्डे पति श्री आदित्य देशपाण्डे हो गया है. अब तथा भविष्य में इसी नाम का प्रयोग समस्त कार्य व्यवहार में करूंगी.

पुराना नाम :

(कविता शर्मा)

(297-बी.)

नया नाम :

(कविता देशपाण्डे)

पता-फ्लेट नं. 102, अपार्टमेंट,

747, ऊषानगर, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुर्य कुमारी राय है, किन्तु मेरे पति अवध बिहारी राय जी, के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम गलती से सुरी कुमारी राय लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः अब से सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों (पति के सर्विस रिकॉर्ड सहित) में मुझे मेरे सही नाम सुर्य कुमारी राय से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुरी कुमारी राय)

(298-बी.)

नया नाम :

(सुर्य कुमारी राय)
(SURYA KUMARI RAI)

(पति अवध बिहारी राय जी),
म. नं. 190 सेक्टर बी, स्लाइस नं. 1,
स्कीम नं. 78, विजय नगर, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सतीश कुमार राय है, किन्तु मेरे पिताजी अवध बिहारी राय जी के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम गलती से सतदास कुमार राय लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः अब से सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों (पिताजी के सर्विस रिकॉर्ड सहित) में मुझे मेरे सही नाम सतीश कुमार राय से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सतदास कुमार राय)

(299-बी.)

नया नाम :

(सतीश कुमार राय)

पुत्र अवध बिहारी राय,
म. नं. 190, सेक्टर बी, स्लाइस नं. 1,
स्कीम नं. 78, विजय नगर, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शैलेश वर्मा है, किन्तु मेरी कुछ अंकसूचीयों में मेरा नाम शैलेश कुमार वर्मा लिखा गया है, अतः अब से मुझे मेरे सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में व सभी अंकसूचीयों में मुझे मेरे सही नाम शैलेश वर्मा से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(शैलेश कुमार वर्मा)

(301-बी.)

नया नाम :

(शैलेश वर्मा)

215, पंचपीर नगर, भोपाल.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अम्बिका मित्तल पुत्री बृजेश मित्तल माता बबीता मित्तल जो कि हैप्पीडेज स्कूल से कोर्स सी.बी.एस.ई. से 10वीं की परीक्षा वर्ष 2016 में उत्तीर्ण की है. इस अंकसूची में पिता का नाम स्पेलिंग गलत BRIJESH MITTAL अंकित है उसके स्थान पर BRAJESH MITTAL लिखा एवं पढ़ा जाय साथ ही शासकीय एवं निजी दस्तावेज में BRAJESH MITTAL इस नाम का उपयोग किया जाए.

पुराना नाम :

(BRIJESH MITTAL)

(302-बी.)

नया नाम :

(BRAJESH MITTAL)

निवासी-कत्था मिल के सामने,
ए. बी. रोड, शिवपुरी.

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रीतू नानवानी पत्नी श्री किशोर नानवानी, उम्र-38 वर्ष, निवासी सूर्य विहार कॉलोनी, मस्जिद वाली गली सिकन्दर कम्प्यू, लश्कर, ग्वालियर यह कि मुझ शपथकर्ता का विवाह दिनांक 22-05-1997 को किशोर नानवानी पुत्र श्री गुलाबराय के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था. शादी के पूर्व मेरा नाम कुमारी नीता भावनानी पुत्री श्री सुरेशचन्द्र भावनानी, निवासी लालमिट्टी चुंगी चौकी जबलपुर, मध्यप्रदेश था. यही नाम समस्त शासकीय एवं अशासकीय एवं शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में अंकित है. मेरा विवाह किशोर नानवानी के साथ होने से अब मेरा नाम रीतू नानवानी पत्नी श्री किशोर नानवानी हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाता है.

पुराना नाम :

(नीता भावनानी)

निवासी-लाल मिट्टी चुंगी चौकी, जबलपुर.
(303-बी.)

नया नाम :

(रीतू नानवानी)

निवासी-सूर्यविहार कॉलोनी, मस्जिद वाली गली,
सिकन्दर कम्प्यू, लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, राधिका वासवानी पति स्व. श्री मनोहर लाल वासवानी, उम्र 63 वर्ष, निवासी 18, सखी विहार कॉलोनी, गोमती की फड़ी, सिकन्दर कम्पू लश्कर, ग्वालियर, मेरा शादी से पूर्व का नाम कौशल्या बनवानी पुत्री स्व. श्री सुमरमल बनवानी था एवं शादी के उपरान्त मेरा नाम सामाजिक रस्मों रिवाज के कारण राधिका वासवानी हो गया. अतः एवं मैं, अपने नाम को परिवर्तित करके राधिका वासवानी उर्फ कौशल्या रखना चाहती हूँ अतः आज दिनांक से भविष्य में मुझे राधिका वासवानी उर्फ कौशल्या के नाम से जाना जाये तथा समस्त व्यवहार में एवं दस्तावेजों में इसी नाम से जाना एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(राधिका वासवानी)
(कौशल्या बनवानी)

(304-बी.)

नया नाम :

(राधिका वासवानी उर्फ कौशल्या)
निवासी-18, सखी विहार कॉलोनी,
गोमती की फड़ी, सिकन्दर कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा घर का नाम बन्टी कुशवाह है जो घर पर बन्टी कुशवाह के नाम से पुकारा जाता है एवं मेरे अन्य दस्तावेजों में जैसे-आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र में मेरा नाम गणेश कुशवाह दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे गणेश कुशवाह के नाम से जाना व पहचाना जावे. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :

(बन्टी कुशवाह)

(305-बी.)

नया नाम :

(गणेश कुशवाह)
पुत्र स्व. श्री प्रेम सिंह कुशवाह,
निवासी-सरकारी स्कूल के पास धौकलपुरा,
सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी अवस्क पुत्री अनमोल सलुजा का जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र पंजीयन संख्या 1022098, दिनांक 02-09-2002 में एवं स्कूल अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम चनमीत कौर लिखा गया है जिसे बदलकर दीपिका सलुजा (Dipika Saluja) कर लिया है. अतः मेरा नाम चनमीत कौर के स्थान पर दीपिका सलुजा (Dipika Saluja) पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

(चनमीत कौर)

(306-बी.)

नया नाम :

(दीपिका सलुजा)
69, माँ विहार कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, वैष्णवी सोनी पुत्री श्री रामकिशोर सोनी, श्रीमती उमा सोनी, पता मकान नं. 69 गोमती की फड़ी हेमसिंह की परेट, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) मेरा नाम कक्षा 4 तक सोनल सोनी था अपना नाम एफीडेविट देकर नाम बदलकर वैष्णवी सोनी करा लिया सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड सभी में मेरा नाम वैष्णवी सोनी है. सोनल सोनी एवं वैष्णवी सोनी दोनों ही नाम मेरे ही हैं अब मुझे सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में वैष्णवी सोनी के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सोनल सोनी)

(307-बी.)

नया नाम :

(वैष्णवी सोनी)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, ब्रज किशोर शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, निवासी-11, हक्सर कॉलोनी, सात नम्बर चौराहा, मुरार, ग्वालियर म.प्र. ने वर्ष 2006 में पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल म.प्र. में पासपोर्ट क्रमांक/एफ 7051377 जारी दिनांक 09-04-2006 बनवाया था,

उक्त समय मेरी हायर सेकेंड्री की अंकसूची के आधार पर मेरा नाम BRAJ KISHOR SHARMA अंकित होकर प्राप्त हुआ था, जबकि वर्तमान में मेरी उच्च शिक्षा एवं अन्य समस्त निवास करने संबंधी दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग सही BRIJ KISHORE SHARMA अंकित है। जिसका मैं, विगत काफी समय से उपयोग करता आ रहा हूँ। अतः भविष्य में मुझे BRAJ KISHOR SHARMA के स्थान पर BRIJ KISHORE SHARMA के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(BRAJ KISHOR SHARMA)
(308-बी.)

नया नाम :

(BRIJ KISHORE SHARMA)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शर्मिला देवी (SHARMILA DEVI) है, किन्तु मेरे पति महेन्द्र टिकूराम जी के सर्विस रिकॉर्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग गलती से शर्मिला देवी (SHARMELA DEVI) लिखा गया है, जो कि गलत है। अतः अब से सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों (पति के सर्विस रिकॉर्ड सहित) में मेरे नाम की सही स्पेलिंग शर्मिला देवी (SHARMILA DEVI) लिखी व पढ़ी जावे।

पुराना नाम :

(शर्मिला देवी)
(SHARMELA DEVI)
(300-बी.)

नया नाम :

(शर्मिला देवी)
(SHARMILA DEVI)
पति महेन्द्र टिकूराम,
म. नं. 147, अयोध्या पुरी कॉलोनी,
कोदरिया महु, जिला इन्दौर म.प्र.

CHANGE OF NAME

I, HARSH SARAOGI (new name) S/o Late Shailendra Kumar Saraogi R/o F-307, Sagar Homes-II Sarvadharam Colony, Kolar Road, Bhopal have my name written as HARSH S SARAOGI (old name) in Educational documents. I have changed my name to HARSH SARAOGI and shall be known as HARSH SARAOGI for all intents and purposes in future.

Old Name:

(HARSH S SARAOGI)
(313-B.)

New Name :

(HARSH SARAOGI)
Address.-F-307, Sagar Homes-II,
Sarvadharm Colony Kolar Road,
Bhopal.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि तलाक से पूर्व मेरा नाम श्रीगीता नायडू पति ए. महेन्द्र नायडू, एम. आई. जी.-81, बी-सेक्टर, नियर जैन मंदिर, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.) था। तलाक दिनांक 01-10-2015 के बाद मेरा नाम बदलकर पेरूमल श्रीगीता हो गया है इसके बाद अब मेरा ए. महेन्द्र नायडू से कोई संबंध नहीं रहा है। अब मैं, अपना नाम बदलकर पेरूमल श्रीगीता रखती हूँ और भविष्य में इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी तथा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में पेरूमल श्रीगीता नाम का उपयोग करूंगी।

पुराना नाम :

(श्रीगीता नायडू)
पूर्व पता-एस. एच.-3, उदय मेहता
काम्पलेक्स, नेहरू नगर, भोपाल.
(314-बी.)

नया नाम :

(पेरूमल श्रीगीता)
पता-एम. आई. जी.-81, बी-सेक्टर,
नियर जैन मंदिर, अयोध्या नगर,
भोपाल.

नाम परिवर्तन

समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों अभिलेखों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम छीर सागर रजक आत्मज अन्नीलाल रजक अंकित है। जिसे गौतम सिंह रजक आत्मज अन्नीलाल रजक पढ़ा व लिखा जावे।

पुराना नाम :

(छीर सागर रजक)
(319-बी.)

नया नाम :

(गौतम सिंह रजक)
उम्र-38 वर्ष,
ग्राम-बंदेसुर, तहसील गाडरवारा,
जिला नरसिंहपुर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि पंजीकृत भागीदारी फर्म मेसर्स हाइवे मोटर्स के भागीदार श्री आनंद स्वरूप साहनी का निधन दिनांक 02-05-2017 को हो जाने के कारण वे फर्म से दिनांक 03-05-2017 से भागीदारी से निवृत्त (अलग) हो गये हैं, तथा श्रीमति वानी साहनी भागीदारी फर्म में दिनांक 03-05-2017 (व्यापार प्रारंभ होने के पूर्व) को भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है.

For M/s Highway Motors,

संदीप साहनी,

(Partner).

(310-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि पंजीकृत भागीदारी फर्म मेसर्स कुन्दनलाल साहनी एण्ड कम्पनी के भागीदारी श्री आनंद स्वरूप साहनी का निधन दिनांक 02-05-2017 को हो जाने के कारण वे फर्म से दिनांक 03-05-2017 से भागीदारी से निवृत्त (विलग) हो गये हैं एवं कुमारी संजना साहनी और श्री संचित साहनी भागीदारी फर्म में दिनांक 03-05-2017 (व्यापार प्रारंभ होने के पूर्व) को भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

For M/s Kundanlal Sahni & Co.,

संदीप साहनी,

(Partner).

(311-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स माँ शारदा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 506, भावना रेजीडेंसी सत्यदेव नगर थाटीपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00171/11, दिनांक 27-09-2011 है जिसमें दिनांक 06-06-2015 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 2 श्री प्रमोद कुमार पाण्डे पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे, आयु 33 वर्ष, निवासी नाका चन्द्रवदनी लवेडपुरा, लश्कर, ग्वालियर तथा पक्षकार क्रमांक 4 श्रीमति अर्चना पाण्डे पत्नि श्री प्रमोद कुमार पाण्डे, आयु 31 वर्ष, निवासी नाका चन्द्रवदनी लवेडपुरा, लश्कर, ग्वालियर जो कि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार, भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेने-देन या अन्य कार्यों में अपने शेष के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स माँ शारदा कंस्ट्रक्शन कम्पनी,

रामकुमार पाराशर,

(पार्टनर).

(309-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शुभम कंस्ट्रक्शन स्थित सेठ भवन, सिद्धेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00058/06, दिनांक 31-08-2006 है. जिसमें दिनांक 04-12-2016 को भागीदार किशोरी लाल गुप्ता पुत्र श्री बैजनाथ गुप्ता, निवासी सेठ भवन, सिद्धेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 04-12-2016 से शुभम गुप्ता पुत्र श्री शिवशंकर गुप्ता, निवासी सेठ भवन, सिद्धेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 09-03-2017 को भागीदार राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता, निवासी सेठ भवन, सिद्धेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 09-03-2017 से विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामकुमार गुप्ता, निवासी सेठ भवन, सिद्धेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स शुभम कंस्ट्रक्शन,

सुधा गुप्ता,

(भागीदारी)

शिवपुरी.

(315-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ दुर्गेश्वरी फूड प्रोडक्ट्स स्थित 102, मीनल अपार्टमेंट, जीवाजी नगर, थाटीपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/02/01/00056/14, दिनांक 11-06-2014 है जिसमें दिनांक 09-05-2016 से श्री आदर्श सिंह कुशवाह पुत्र श्री जगदीश सिंह कुशवाह एवं श्रीमती नीतू सिंह कुशवाह पत्नी श्री आदर्श सिंह कुशवाह फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 24-07-2017 से श्रीमती पूनम विनोदानी पत्नी श्री वासुदेव विनोदानी, निवासी गजानंद नगर, आगरा एवं श्रीमती रचना अग्रवाल पत्नी श्री मोहन कुमार अग्रवाल, निवासी सरयू विहार, कमला नगर, आगरा अपनी स्वेच्छा से फर्म में से पृथक् हो रहे हैं एवं दिनांक 09-05-2016 से फर्म का रजिस्टर्ड

कार्यालय 102, मीनल अपार्टमेंट, जीवाजीनगर थाटीपुर, ग्वालियर से नवीन स्थान अनुप्रास कॉम्प्लेक्स, शुभांजलिपुरम, एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर पर परिवर्तित हो गया है. आम एवं साधारण जन सूचित हों.

मैसर्स माँ दुर्गेश्वरी फूड्स प्रोडक्ट,
आदर्श सिंह कुशवाह,
(भागीदारी).

(316-बी.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स फर्म पंजीयन क्रं. 08/09/01/0022/15 पार्टनर, 1. राजेश दुबे पिता श्री लक्ष्मीनारायण दुबे, 2. नवीन निश्चल पिता मथुरा प्रसाद बलैया, 3. मनीष तिवारी पिता आर. पी. तिवारी, 4. राजकुमार विश्वकर्मा पिता एम. पी. विश्वकर्मा, 5. अशोक सोनी पिता गोपाल दास सोनी, 6. संजीव जड़िया पिता एस. के. जड़िया, 7. पप्पू खान पिता नजीर खान द्वारा अपनी फर्म का नाम परिवर्तन कर श्री गणेश ग्रुप रखना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति या अन्य को कोई आपत्ति है तो 7 दिवस के अंदर सूचित करें.

राजेश दुबे,
(एड.)

(317-बी.)

सिविल कोर्ट, सागर (म.प्र.).

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमति प्रभादेवी अग्रवाल भागीदार त्रिशूल कंस्ट्रक्शन का निधन दिनांक 01-08-2017 को हो गया है. फर्म द्वारा नई भागीदारी डीड को RECONSTITUED कर श्री नीरज कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्रकुमार अग्रवाल, निवासी अरेरा कॉलोनी, भोपाल को नया भागीदार बनाया गया है. अतः अब भागीदारी फर्म त्रिशूल कंस्ट्रक्शन्स में श्री मनीष कुमार अग्रवाल एवं श्री नीरज कुमार अग्रवाल को भागीदार के रूप में जाना जाए.

For त्रिशूल कंस्ट्रक्शन्स,
द्वारा-मनीष अग्रवाल,
(भागीदार)

(318-बी.)

E-7/60, अशोका सोसायटी, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.).

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 08 अगस्त, 2017

निविदा सूचना

क्र. शा.के.मु./सामान्य/(4)/2017-18/3303.-ऑनलाईन <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेंडर से तकनीकी भाग दिनांक 29 अगस्त, 2017, 3:00 बजे एवं कॉमर्शियल भाग दिनांक 30 अगस्त, 2017 अपराह्न 3.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार पंजीकृत फार्मों से सम्पूर्ण मुद्रणालय भवन की साफ-सफाई कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है.

2. निविदा प्रपत्र (Tender Form) एवं शर्तें वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर देखा जा सकता है.
3. निविदा प्रपत्र राशि रुपये 250/- (कर अतिरिक्त) प्रोसेसिंग फीस जमा कर www.mpeproc.gov.in से Online क्रय किया जा सकता है.
4. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-टेंडर की हार्ड कॉपी सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स (Key Dates) अनुसार जमा करना होगा. ऑनलाईन निविदा की हार्ड कॉपी "की-डेट" अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी. निविदाकार की अनुपस्थिति में उपस्थित हुए प्रतिनिधि को अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा.
5. सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी आई. टी. की वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> एवं विभाग की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी.

लॉरेंस रॉबर्टसन,

उप-नियंत्रक,

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल.

(1416)

संक्षिप्त निविदा

वानिकी वर्ष 2017-18 में छिन्दवाड़ा वनवृत्त के विभिन्न वनमंडलों में विभागीय उपयोग हेतु भण्डार/नाशवान/स्टेशनरी एवं फार्म पंजी के क्रय हेतु इच्छुक फर्मों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा फार्म/शर्तें व सामग्री का विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस/समय में 100/- (सौ रुपये मात्र) नगद जमा करने पर दिनांक 09 अगस्त, 2017 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदाकार को निविदा के साथ रुपये 5000/- (पांच हजार रु. मात्र) की अमानत राशि किसी भी अधिसूचित बैंक का ड्राफ्ट/एफ. डी.आर. जो वनमंडलाधिकारी दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमंडल के नाम से छिन्दवाड़ा स्थित बैंक में देय हो, जमा करना होगा।

निविदा फार्म प्रत्येक सामग्री के लिये अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना है। सभी दृष्टि से पूर्ण निविदा, मुहरबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 10 अगस्त, 2017 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा कराई जा सकती हैं एवं कुल प्राप्त निविदायें दिनांक 10 अगस्त, 2017 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जावेगी।

स्वीकृत निविदा दरें दिनांक 30-06-2018 तक प्रभावशील रहेंगी।

विस्तृत विवरण कार्यालय दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमंडल में कार्यालयीन समय में हमारी वेबसाईट www.mpforest.gov.in में देखा जा सकता है। निविदाकार निविदा प्रस्तुत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सामग्री का नाम एवं क्रय हेतु दी जाने वाली दरों का स्पष्ट उल्लेख करें।

टीपः-उक्त नियम तिथि को निविदा प्राप्त न होने अथवा स्वीकृत न होने की स्थिति में आगामी निविदा तिथि निम्नानुसार होगी:-

क्र.	आगामी निविदा दिनांक	निविदा फार्म वितरण करने का दिनांक/समय	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक/समय	निविदा खोलने का दिनांक/समय
1.	18-08-2017	11-08-2017 से 18-08-2017 तक कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 3.00 बजे तक.	18-08-2017 को समय अपरान्ह 3.30 बजे तक	18-08-2017 को समय 4.00 बजे.
2.	25-08-2017	19-08-2017 से 25-08-2017 तक कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 3.00 बजे तक.	25-08-2017 को समय अपरान्ह 3.30 बजे तक	25-08-2017 को समय 4.00 बजे.

(1426)

रवीन्द्र मणि त्रिपाठी,
भा. व. से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण छिन्दवाड़ा सा. वनमंडल.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र.क्र. 0003/बी-113(1)/2016-17

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि डॉ. सुंदरलाल पिता वेद्य बालमकुन्द गुप्ता, निवासी पडावा, नर्स होस्टल के पीछे, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 29 अगस्त, 2017 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकारी के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	श्रीमति सीताबाई वेद्य बालमकुन्द गुप्ता पारमार्थिक न्यास खण्डवा, तहसील खण्डवा.
चल संपत्ति	:	1,00,000/- रुपये नगदी
अचल संपत्ति	:	निरंक

दिनांक 26 जुलाई, 2017 को जारी.

(1417)

शाश्वत शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, मंदसौर, जिला मंदसौर

प्र. क्र. 02/बी-113(1)/2016-17-2008.

नियम-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) देखिये]

पंजीयक लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

औदित्य ब्राम्हण समाज, छोटी सम्भा, जिला मंदसौर द्वारा अध्यक्ष, दिनदयाल पिता शिवशंकर ब्राम्हण पण्ड्या, निवासी नौगांवा, तहसील व जिला मंदसौर.

चूँकि औदित्य ब्राम्हण समाज, छोटी सम्भा, जिला मंदसौर, द्वारा अध्यक्ष, दिनदयाल पिता शिवशंकर ब्राम्हण पण्ड्या, निवासी नौगांवा, तहसील व जिला मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, एन. एस. राजावत, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को व्यक्तिशः या अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

सम्पत्ति का विवरण

(अ) अचल सम्पत्ति	:	निरंक
(ब) चल सम्पत्ति	:	राशि रुपये 50,00,000/-
लोक न्यास का नाम	:	औदित्य ब्राम्हण समाज, छोटी सम्भा, जिला मंदसौर.

(1418)

प्र. क्र. /बी-113(1)/2016-17.

नियम-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिये]

पंजीयक लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

अहिरवार समाज श्री रामजानकी मन्दिर ट्रस्ट नरसिंहपुरा मंदसौर द्वारा अध्यक्ष, उदरयराम अहिरवार, निवासी सेजपुरिया, तहसील व जिला मंदसौर.

चूँकि अहिरवार समाज श्री रामजानकी मन्दिर ट्रस्ट नरसिंहपुरा मंदसौर द्वारा अध्यक्ष, उदरयराम अहिरवार, निवासी सेजपुरिया, तहसील व जिला मंदसौर म.प्र. ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, एन. एस. राजावत, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत

करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को व्यक्तिशः या अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

सम्पत्ति का विवरण:-

(अ) अचल सम्पत्ति	:	निरंक
(ब) चल सम्पत्ति	:	राशि रुपये 50,00,000/-
लोक न्यास का नाम	:	अहिरवार समाज श्री रामजानकी मन्दिर ट्रस्ट नरसिंहपुरा मंदसौर.

(1419)

प्र. क्र. 01/बी-113(1)/2016-17.

नियम-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिये]

पंजीयक लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

श्री जांगीड ब्राम्हण सुतार पंचायत चंद्रपुरा, मंदसौर.

चूंकि श्री जांगीड ब्राम्हण सुतार पंचायत चंद्रपुरा, मंदसौर द्वारा अध्यक्ष, अशोक झलौया, निवासी मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28 अगस्त, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, एन. एस. राजावत, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को व्यक्तिशः या अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

सम्पत्ति का विवरण:-

(अ) अचल सम्पत्ति	:	निरंक
(ब) चल सम्पत्ति	:	निरंक
लोक न्यास का नाम	:	श्री जांगीड ब्राम्हण सुतार पंचायत चंद्रपुरा, मंदसौर.

(1420)

एन. एस. राजावत,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र.-102/बी-121/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

जैसाकि (श्री खेडापति हनुमान मंदिर ट्रस्ट) न्यू मार्केट, टी. टी. नगर भोपाल (पूर्व से पंजीकृत) ट्रस्टी श्री सुभाष बडकुर (सचिव) द्वारा पूर्व ट्रस्टी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल की मृत्यु हो जाने पर नये ट्रस्टी के रूप में श्री अजय अग्रवाल, निवासी म. नं.-28, न्यू मार्केट, टी. टी. नगर, भोपाल नाम जोड़े जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक.....जुलाई, 2017 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह

के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | श्री खेडापति हनुमान मंदिर ट्रस्ट. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निल. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निल. |

आज दिनांक 10 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(1421)

अतुल सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर (फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक हिमांशी चेरिटेबल ट्रस्ट, पता-166, रानीबाग मेन खण्डवा रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी राजेश पिता रघुमल ढोंगरा, पता-166, रानी बाग मेन खण्डवा रोड, इन्दौर द्वारा हिमांशी चेरिटेबल ट्रस्ट, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | “हिमांशी चेरिटेबल ट्रस्ट ” |
| 2. पता | : | कार्यालय-166, रानीबाग मेन खण्डवा रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश). |
| 3. चल-अचल संपत्ति | : | न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 2,151/- (अक्षरी रुपये दो हजार एक सौ इक्यावन मात्र) है जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है तथा अचल सम्पत्ति निरंक है. |

आज दिनांक 12 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1422)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर सेवा ट्रस्ट, पता-शहीद भगतसिंह परिसर, ए. बी. रोड, विजय नगर इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री सुभाष पिता श्री लक्ष्मीनारायण पटेल अन्य-4 के द्वारा श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर सेवा ट्रस्ट इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | “श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर सेवा ट्रस्ट” |
| 2. पता | : | कार्यालय-शहीद भगतसिंह परिसर, ए. बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) |
| 3. चल-अचल संपत्ति | : | न्यास की चल-अचल सम्पत्ति निरंक है. |

आज दिनांक 21 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1423)

बिहारीसिंह,
पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह

रा.प्र.क्र.01/ब-113(1)/16-17.

प्रारूप क्रमांक-04

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक दमोह, जिला दमोह के समक्ष.

यतः कि अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मलैया पिता श्री जयन्त कुमार मलैया एकलव्य गौसंवर्धन न्यास ट्रस्ट कमेटी, दमोह, निवासी दमोह, तहसील दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-04 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 14 अगस्त, 2017 को 2 बजे कार्यालयीन दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त अपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता : एकलव्य गौसंवर्धन न्यास मलैया मिल परिसर दमोह
चल संपत्ति : 61,700.00 रु. चल सम्पत्ति है.

नन्दलाल सामरथ,
पंजीयक.

(1424)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

विदिशा, दिनांक 21 जुलाई, 2017

प्र. क्र. 05/बी-113/16-17.

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

आवेदक अध्यक्ष श्री रामगोपाल पुत्र बाबूलाल मीणा एवं अन्य न्यासीगण ग्राम पचमढी (बामोरा) द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : मंदिर श्री सिद्धबाबा शिवस्थान मंदिर, पचमढी (बामोरा), तहसील व जिला विदिशा.
2. चल सम्पत्ति : नागेश्वर जी की मूर्ति, 04 तांबे के घोड़े, 10 थाली पीतल 02 परात, 03 बाल्टी, 10 कटोरी, कढ़ाई, जनरेटर, विद्युत मोटर स्टार्टर एवं मंदिर की धर्मशाला.
3. अचल सम्पत्ति : सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा खामखेड़ा, तहसील विदिशा में खाता क्रमांक 2004251030022621 में 3,26,700/- रु. जमा है. ग्राम बामोरा में रकबा 0.104 हे. भूमि.

आर. पी. अहिरवार,
उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक.

(1425)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल , बड़वाह

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम-1986 के तहत यह प्रकाशित किया जाता है कि बड़वाह सामान्य वनमण्डल के निम्नलिखित वन क्षेत्र 1 जुलाई, 2017 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे, जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी वन क्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. उनके विरुद्ध वन नियमावली अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी :-

(अ) दिनांक 01-07-2017 से चराई से बंद कूप (सामान्य वन मण्डल बड़वाह)

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वर्किंग सर्कल (कार्य वृत्त)	कूप नं.	कक्ष क्र.	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बड़वाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VII	271	228.820
2.			सुरतीपुरा	VII	277	113.560
3.			कडियाकुण्ड	VII	223	180.000
4.			सुलगांव	VII	256	142.200
5.	बड़वाह	सुधार पातन	कुण्डी	VII	224	111.150
6.			पलास्या	VII	244	111.370
7.			माधवपुरा	VII	251	136.570
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VII	131	197.900
9.			बडकीचौकी	VII	87	199.470
10.			बलवाडा	VII	95	157.190
11.			कालापाठा	VII	125	140.800
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VII	166	153.790
13.			चैनपुरा	VII	160	130.720
14.			ओखला	VII	180	155.030
15.			कोदवार	VII	191	117.600
16.			काटकूट	VII	198	198.900
17.			बडेल	VII	207	157.950
18.			मेंहदीखेडा	VII	213	156.340
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	VII	48	168.054
20.	बड़वाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	VII	267	53.535
21.			मुरल्ला	VII	176	224.550
22.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	VII	96	70.875
23.			देवगढ	VII	89	79.830
24.	काकड़दा	पुर्नस्थापना	गढी	VII	5	157.950
25.			गुठानिया	VII	15	40.950
26.			काकड़दा	VII	18	128.580

1	2	3	4	5	6	7
27.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	VII	30	96.010
28.			बेकल्या	VII	40	126.370
29.			गोवर्धनपुरा	VII	53	176.090
30.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	VII	63	108.670
31.			प्रेमपुरा	VII	72	102.565
32.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	VII	325	59.000
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VII	302	165.855
34.			नलवट	VII	312	115.383
35.			सनावद	VII	291	177.085
36.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VIII	268	115.850
37.			सुरतीपुरा	VIII	269	133.420
38.			कडियाकुण्ड	VIII	236	193.280
39.	बडवाह	सुधार पातन	सुलगांव	VIII	237	125.325
40.			कुण्डी	VIII	233	194.870
41.			पलास्या	VIII	254	190.300
42.			माधवपुरा	VIII	252	148.500
43.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VIII	132	216.460
44.			बडकीचौकी	VIII	62	152.850
45.			बलवाडा	VIII	102	157.110
46.			कालापाठा	VIII	124	114.280
47.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VIII	167	138.750
48.			चैनपुरा	VIII	161	77.400
49.			ओखला	VIII	174	79.870
50.			कोदवार	VIII	212	148.820
51.			काटकूट	VIII	196	146.340
52.			बडेल	VIII	200	154.340
53.			मेंहदीखेडा	VIII	214	133.870
54.	काकड़दा	सुधार पातन	काकडदा	VIII	49	94.340
55.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	IX	267	74.250
56.	काटकूट	पुर्नस्थापना	मुरल्ला	IX	178	147.820
57.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	IX	95	69.867
58.			देवगढ	IX	92	70.210
59.	काकड़दा	पुर्नस्थापना	गढी	IX	3	115.660
60.			गुठानिया	IX	15	82.450

1	2	3	4	5	6	7
61.	काकडदा	पुर्नस्थापना	काकडदा	IX	18	130.770
62.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	IX	35	98.800
63.			बेकल्या	IX	34	161.900
64.			गोवर्धनपुरा	IX	47	142.870
65.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	IX	63	126.450
66.			प्रेमपुरा	IX	72	105.970
67.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	IX	326	55.070
68.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	IX	303	258.150
69.			नलवट	IX	317	115.520
70.			सनावद	IX	292	205.970
71.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	IX	268	124.220
72.			सुरतीपुरा	IX	269	167.400
73.			कडियाकुण्ड	IX	221	126.900
74.			सुलगांव	IX	234	140.895
75.			कुण्डी	IX	233	180.900
76.			पलास्या	IX	255	85.500
77.			माधवपुरा	IX	245	167.390
78.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	IX	129	80.440
79.			बडकीचौकी	IX	91	176.760
80.			बलवाडा	IX	102	142.200
81.			कालापाठा	IX	120	149.060
82.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	IX	165	147.150
83.			चैनपुरा	IX	161	129.380
84.			ओखला	IX	162,175	284.980
85.			कोदवार	IX	212	148.500
86.			काटकूट	IX	196	122.170
87.			बडेल	IX	197	209.250
88.			मेंहदीखेडा	IX	216	163.490
89.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	IX	52	206.550
90.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	X	262	52.200
91.	काटकूट	पुर्नस्थापना	मुरल्ला	X	179	96.750
92.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	X	114	153.100
93.			देवगढ	X	88	132.530

1	2	3	4	5	6	7
94.	काकड़दा	पुर्नस्थापना	गढी	X	7	87.720
95.			गुठानिया	X	14	102.380
96.			काकड़दा	X	19	87.750
97.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	X	29	104.310
98.			बेकल्या	X	35	177.225
99.			गोवर्धनपुरा	X	50	103.830
100.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	X	63	103.740
101.			प्रेमपुरा	X	67	119.470
102.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	X	328	66.240
103.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	X	300	157.950
104.			नलवट	X	317	123.520
105.			सनावद	X	293	245.470
106.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	X	274	174.600
107.			सुरतीपुरा	X	278	121.950
108.			कडियाकुण्ड	X	221	124.870
109.			सुलगांव	X	239	145.120
110.			कुण्डी	X	225	161.770
111.			पलास्या	X	221	146.470
112.			माधवपुरा	X	247	144.450
113.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	X	138	115.980
114.			बडकीचौकी	X	77	176.760
115.			बलवाडा	X	106	154.120
116.			कालापाठा	X	122	159.680
117.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	X	150	135.270
118.			चैनपुरा	X	159	146.350
119.			ओखला	X	140	151.870
120.			कोदवार	X	209	122.400
121.			काटकूट	X	195	109.800
122.			बडेल	X	202	214.170
123.			मेंहदीखेडा	X	217	92.450
124.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	X	25	118.970
125.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	XI	262	40.160
126.	काटकूट	पुर्नस्थापना	मुरल्ला	XI	184	282.670
127.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	XI	116	161.450
128.			देवगढ	XI	85	139.050

1	2	3	4	5	6	7
129.	काकडदा	पुर्नस्थापना	गढी	XI	P 331	95.400
130.			गुठानिया	XI	13	119.150
131.			काकडदा	XI	27	121.280
132.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	XI	2	135.220
133.			बेकल्या	XI	35	134.273
134.			गोवर्धनपुरा	XI	58	125.120
135.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	XI	64	132.530
136.			प्रेमपुरा	XI	67	98.230
137.	सनावद	पुर्नस्थापना	सनावद	XI	329	75.020
138.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	XI	304	211.720
139.			नलवट	XI	318	157.050
140.			सनावद	XI	294	150.175
141.	बडवाह	सुधार पातन	जंयतीमाता	XI	274	136.730
142.			सुरतीपुरा	XI	280	129.670
143.			कडियाकुण्ड	XI	222	119.470
144.			सुलगांव	XI	238	95.175
145.			कुण्डी	XI	230	78.820
146.			पलास्या	XI	243	104.450
147.			माधवपुरा	XI	247	81.440
148.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	XI	139	194.28
149.			बडकीचौकी	XI	77	152.710
150.			बलवाडा	XI	107	121.830
151.			कालापाठा	XI	111	106.200
152.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	XI	170	98.550
153.			चैनपुरा	XI	155	117.000
154.			ओखला	XI	141	186.300
155.			कोदवार	XI	209	136.800
156.			काटकुट	XI	195	94.730
157.			बडेल	XI	201	171.450
158.			मेंहदीखेडा	XI	217	134.240
159.	काकडदा	सुधार पातन	काकडदा	XI	25	127.250
160.	बडवाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	XII	P 331	26.450
161.			मुर्ल्ला	XII	185	140.920
162.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	XII	115	69.717
163.			देवगढ	XII	93	159.820

1	2	3	4	5	6	7
164.	काकड़दा	पुर्नस्थापना	गढी	XII	8	86.660
165.			गुठानिया	XII	11	105.070
166.			काकडदा	XII	27	96.970
167.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	XII	31	97.650
168.			बेकल्या	XII	36	167.125
169.			गोवर्धनपुरा	XII	51	148.159
170.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	XII	64	138.600
171.			पाडल्या	XII	68	93.799
172.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	XII	330	44.560
173.	सनावद	मृदा एवं जल	अंजनगांव	XII	305	270.670
174.		संरक्षण	नलवट	XII	319	121.840
175.			सनावद	XII	294	146.375
176.	काकडदा	सुधारपातन	हिंडोलागवाडी	I	32	133.930
177.	मण्डलेश्वर	सुधारपातन	नवरंगपुरा	I	52	89.930
178.	बलवाडा		बडकीचौकी	I	79	50.670
179.			बामनपुरी	I	99	71.620
180.			धनकुंआ	I	105	70.920
181.			ग्वालु	I	109	71.780
182.			सबलपुरा	I	112	65.270
183.			चिचला	I	114	62.810
184.			सेंधवा	I	131	61.220
185.			करोदिया	I	134	66.370
186.			सुरतिपुरा	I	126	54.530
187.			कालापाठा	I	136	100.260
188.	काटकूट	सुधारपातन	बखतगड	I	218	62.440
189.			कुण्डया	I	214	67.780
190.			मेंहदीखेडा	I	210	78.810
191.			तोरानिया	I	211	41.170
192.			सालिखेडा	I	189	65.740
193.			बडेल	I	204	88.050
194.			बडेल उत्तर	I	199	68.620
195.			मेंहदीखेडा	I	208	48.030
196.			भेरूखेडा	I	192	65.760
197.			तरान्या	I	203	43.350
198.			निमखेडा पूर्व	I	197	56.580

1	2	3	4	5	6	7
199.	काटकूट	सुधारपातन	निमखेडा	I	194	55.030
200.			बरघावन	I	196	81.510
201.			ओखला	I	182	75.090
202.			चंदुपुरा	I	177	47.870
203.			नाचनबोर	I	173	53.780
204.			सेंडल	I	147	49.540
205.			चैनपुरा उत्तर	I	149	80.520
206.			मेंडल	I	152	61.690
207.			नयापुरा	I	158	75.370
208.			बेरछा	I	156	65.800
209.			गवलनपाटी	I	163	69.100
210.			गवलनपाटी पश्चिम	I	169	53.710
211.			चैनपुरा	I	171	66.880
212.	बड़वाह		सापट	I	248	74.780
213.			लउण्डी	I	251	72.130
214.			सोरठी बारूल	I	242	47.170
215.			कोडवार बुजुर्ग	I	241	62.210
216.			कुण्डी	I	226	61.770
217.			कुण्डी पश्चिम	I	228	72.810
218.			पातलीमाल	I	252	72.200
219.			रावतपलासिया	I	240	77.870
220.			सुलगांव उत्तर	I	233	72.880
221.			कडियाकुण्ड पूर्व	I	219	60.950
222.			कडियाकुण्ड	I	220	71.430
223.			रामकुल्ला	I	260	73.660
224.			बागफल	I	273	63.770
225.			सैलानी	I	285	72.450
226.			कोठावां	I	283	52.730
227.			सुलगांव दक्षिण	I	234	55.680
228.			कडियाकुण्ड	I	235	56.750
229.			मिर्धावन	I	275	80.500
230.			सुरतीपुरा	I	276	48.180
231.			मोहिदा	I	272	55.270
232.			सुलगांव	I	257	82.830
233.			करोदिया पूर्व	I	284	63.530

1	2	3	4	5	6	
234.	बड़वाह	सुधारपातन	करोदिया	I	270	70.190
235.			सालखेडा	I	259	93.050
236.	पाडल्या		नाचनबोर	I	76	56.550
237.			प्रेमपुरा	I	75	66.430
238.			रोश्याबारी	I	61	61.950
239.			जामखुर्द	I	57	55.050
240.	काकडदा	पुर्नस्थापना	बाकानेर	I	15	47.730
241.			भुवनतलाई	I	21	53.120
242.			कालिबेल	I	20	34.200
243.			कुसम्भ्या	I	10	43.640
244.			काकडदा	I	8	49.350
245.			जामनझिरी	I	17	39.450
246.			भेडल्या छोटा	I	11	72.270
247.			रागडघाटी	I	6	51.340
248.			हेलाबाबर	I	26	50.820
249.			बडवेल	I	27	51.890
250.			टेकवा	I	28	53.020
251.			सेल	I	3	50.110
252.			टेमरिया	I	4	37.840
253.	मण्डलेश्वर		बेकल्या	I	50	45.790
254.			गोंडकुआं	I	49	56.270
255.			गुजरमोहना	I	47	64.950
256.			टेकवा	I	40	37.910
257.			सालीपुरा	I	41	48.070
258.			सिरस्या	I	45	44.600
259.			कापरखेडा	I	43	46.640
260.	बलवाडा		डोंगरगांव	I	84	54.290
261.			बडकीचौकी दक्षिण	I	85	31.540
262.			देवगड	I	90	33.810
263.			उधरन्या	I	95	39.120
264.			जुलवानिया	I	96	34.340
265.			धनकुआ	I	97	38.050
266.			राजपुरा	I	101	33.130
267.			बलवाडा	I	110	55.550
268.			बरझर	I	113	48.150

1	2	3	4	5	6	
269.	बलवाडा		जगतपुरा	I	P331	35.930
270.	सनावद	पुर्नस्थापना	बालाबड़	I	286	59.550
271.			गुमठी	I	301	39.530
272.	पाडल्या		झिरन्या	I	60	51.750
273.			माधवपुरा	I	69	50.650
274.			बलसगांव	I	70	53.30
275.			बागदरा	I	59	53.670
276.	काटकूट		नयापुरा दक्षिण	I	159	67.020
277.			चैनपुरा दक्षिण	I	151	58.1300
278.			आक्या	I	142	57.230
279.			ओखला	I	178	42.010
280.			निमखेडा	I	198	55.950
281.			सालखेडा	I	187	43.630
282.			पलसूद	I	185	38.790
283.			बरखेडा	I	186	44.660
284.	मण्डलेश्वर	वृक्षारोपण	बढा	I	P 340	51.140
285.			खारिया	I	36	45.900
286.	पाडल्या		पाडल्या	I	64	66.270
287.	सनावद		जिरभार	I	P 329	67.070
288.			बिजलदड़ा	I	303	42.330
289.			बिजासनी	I	305	53.940
290.			मोखनगांव	I	293	48.120
291.			हीरापुर	I	292	48.970
292.			खानपुरा	I	320	50.44
293.			बालिया	I	P 323	24.85
294.			बालिया	I	P 328	15.36
295.			डेलगांव	I	288	55.51
296.			नलवट	I	289	60.3
297.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	खुदगांव	I	287	54.38
298.			बागदाखुर्द	I	299	56.25
299.			अम्बा	I	298 A	34.35
300.			पिपरीखेडा	I	306	46.77
301.			उमरिया	I	309	64.63
302.			जुलवानिया	I	297	38.53

एम. एस. सिसोदिया,
वनमण्डलाधिकारी.

**(ब) दिनांक 1-7-2017 से चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण क्षेत्र
सामान्य वनमण्डल, बड़वाह**

क्रमांक	परिक्षेत्र	वृक्षारोपण क्षेत्रों का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	बड़वाह	उर्जा वन	247-I	2010-11	10.000
2.	बड़वाह	उर्जा वन	247-II	2010-11	10.000
3.	बड़वाह	उर्जा वन	264	2010-11	10.000
4.	बड़वाह	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	147	2010-11	20.000
5.	बड़वाह	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	264	2010-11	20.000
6.	बड़वाह	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	263	2015-16	5.000
7.	बलवाडा	उर्जा वन	109-I	2010-11	10.000
8.	बलवाडा	उर्जा वन	109-II	2010-11	10.000
9.	बलवाडा	उर्जा वन	109-III	2010-11	10.000
10.	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	127	2010-11	20.000
11.	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	132	2010-11	20.000
12.	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	108	2012	40.000
13.	बलवाडा	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	97	2010-11	20.000
14.	बलवाडा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	130	2010-11	50.000
15.	बलवाडा	मिश्रित वृक्षारोपण	113	2013-14	40.000
16.	बलवाडा	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	84	2015-16	10.000
17.	बलवाडा	एफडीए योजनांतर्गत	84	2015-16	20.000
18.	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	147	2012	50.000
19.	काटकूट	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	176	2012	50.000
20.	काटकूट	R.K.V.Y.	175	2010-11	10.000
21.	काटकूट	उर्जा वन	147-I	2010-11	10.000
22.	काटकूट	उर्जा वन	147-II	2010-11	10.000
23.	काटकूट	बांस वृक्षारोपण	185	2010-11	50.000
24.	काटकूट	मिश्रित वृक्षारोपण	149, 150	2010-11	30.000
25.	काटकूट	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	176	2010-11	25.000
26.	काटकूट	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	185	2010-11	100.000
27.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	194	2015-16	10.000
28.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	177	2015-16	5.000
29.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	153	2015-16	10.000
30.	काटकूट	एफ. डी. ए. योजनांतर्गत	181	2015-16	50.000
31.	पाडल्या	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	68	2012	50.000
32.	पाडल्या	R.K.V.Y.	72	2010-11	10.000

1	2	3	4		
33.	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-I	2010-11	10.000
34.	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-II	2010-11	10.000
35.	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-III	2010-11	10.000
36.	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-IV	2010-11	10.000
37.	पाडल्या	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	65	2010-11	20.000
38.	पाडल्या	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	81	2015-16	10.000
39.	मण्डलेश्वर	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	36	2012	50.000
40.	मण्डलेश्वर	R.K.V.Y.	36	2010-11	10.000
41.	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	3	2012	60.000
42.	काकडदा	R.K.V.Y.	13	2010-11	10.000
43.	काकडदा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	2	2010-11	50.000
44.	काकडदा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	16	2012	50.000
45.	काकडदा	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	14	2010-11	20.000
46.	सनावद	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	325	2012	50.000
47.	सनावद	R.K.V.Y.	288	2010-11	10.000
48.	सनावद	मिश्रित वृक्षारोपण	291	2013-14	50.000
49.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद से वैकल्पिक वृक्षारोपण	45	2010-11	28.980
50.	काटकूट	केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	186,185	2010-11	211.358
51.	बलवाड़ा	केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	104	2010-11	48.512
52.	सनावद	केम्पा मद मोखनगांव नहर किनारे वृक्षारोपण.	295, 296, 298, 299 ख. नं. 147, 150, 232, 328	2011-12	19.574 कि.मि.
53.	सनावद	केम्पा मद सागडियाव नहर किनारे वृक्षारोपण.	291	2011-12	0.700 कि.मि.
54.	बड़वाह	केम्पा मद 220 के. व्ही. मल्टी सर्किट विद्युत लाईन के नीचे औषधीय पौधारोपण.	277, 279, 284,285	2011-2012	3.560
55.	बड़वाह	केम्पा मद 220 के. व्ही. सनावद टेप पाईट विद्युत लाईन के नीचे औषधीय वृक्षारोपण.	277,279, 284	2011-2012	3.020
56.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद 220 के. व्ही. पीथमपुर राजगढ़ औषधीय वृक्षारोपण.	41	2011-2012	4.345
57.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	36	2014-15	0.416
58.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद 400 के. व्ही. मालवा टी. पी. एच. विद्युत लाईन के नीचे औषधीय वृक्षारोपण.	41	2014-15	1.100
59.	बड़वाह	केम्पा मद बड़वाह-सिद्धवरकूट वायपास मार्ग के दोनों ओर किनारे पर वृक्षारोपण.	256, 266	2015-16	1.400 कि.मी.
60.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना	ख.नं.60/1/1 क	2014-15	5.000
61.	बलवाडा	कक्ष क्रमांक 113 केम्पा मद से वृक्षारोपण	113	2017-18	30.000
62.		कक्ष क्रमांक 108 केम्पा मद से वृक्षारोपण	108	2017-18	70.000

1	2	3	4		
63.	पाडल्या	कक्ष क्रमांक 67 केम्पा मद से वृक्षारोपण	67	2017-18	50.000
	बडवाह	कार्य आयोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण	231	2017-18	30.000
	पाडल्या	कार्य आयोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण	253	2017-18	30.000
	पाडल्या	कूपों में गेप प्लांटिंग	P 331	2017-18	10.000
		कूपों में गेप प्लांटिंग	283	2017-18	13.000
		कूपों में गेप प्लांटिंग	285	2017-18	25.000
		नर्मदा नदी किनारे वृक्षारोपण	281	2017-18	69.180
		नर्मदा नदी किनारे वृक्षारोपण	275	2017-18	80.500
		मिश्रित वृक्षारोपण	263	2017-18	50.000
	सनावद	कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	287	2017-18	50.000
		कूपों में गेप प्लांटिंग	291	2017-18	50.000
	काटकूट	कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	182	2017-18	50.000
		कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	194	2017-18	35.000
		कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	178	2017-18	30.000
		मिश्रित वृक्षारोपण	201	2017-18	50.000
		कूपों में गेप प्लांटिंग	185	2017-18	5.000
	बलवाडा	कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	125	2017-18	40.000
		कूपों में गेप प्लांटिंग	114	2017-18	12.000
	मण्डलेश्वर	कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	36	2017-18	50.000
		समिति के माध्यम से वृक्षारोपण	41	2017-18	2.000
		समिति के माध्यम से वृक्षारोपण	35	2017-18	2.000

(स) प्रतिबंधित 01-07-2017 से चराई से प्रतिबंधित घांस बीड (सामान्य वनमण्डल बड़वाह)

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	घांस बीड का नाम	क्षेत्रफल हेक्टर
1	2	3	4
1.	मण्डलेश्वर	1. खुशालसिंग वाली	22.662
2.		2. तोपखान वाली	36.826
3.		3. गोस्यावाली	8.095
4.		4. लगीवाली	7.294
5.		5. बहेडावाली	8.712
6.		6. कामद वाली	3.237
7.		7. हिरया वाली	8.903
8.		8. काजी वाली	5.899
9.		9. भगवानसिंग वाली	11.735
10.		10. नवाब वाली	32.374
11.		11. म. वाली	7.284

1	2	3	4
12.	मण्डलेश्वर	12. सांगया वाली	12.759
13.		13. भट्टयाण वाली	3.643
14.		14. खालबेडी वाली	15.378
15.		15. भूरा पाण्डु वाली	3.643
16.		16. गवालबेडी वाली	15.378
17.		17. भूरा पाण्डु वाली	16.996
18.		18. कुण्डाल वाली	6.070
19.		19. रूखया वाली	2.428
20.		20. अजू वाली	4.047
21.		21. कग्गा वाली	9.712
22.		22. रमजू वाली	0.809
23.	पाडल्या	23. बसनगांव वाली	4.047
24.		24. भादलीपुरा	205.000
25.		25. करोंदिया	441.107
26.	काटकूट	26. लेण्डारी	432.672
27.		27. ओखला	100.000
28.	काटकूट	28. मंगलसिंग वाली	33.183
29.	बलवाडा	29. चिचला	10.000
30.		30. बिराली (भाग-1, भाग-2)	270.474
31.	सनावद	31. बिजासन (भाग-1, भाग-2)	514.760

(द) वन ग्रामों में बाहर के पशुओं की चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र (सा. वनमण्डल बड़वाह)

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वन ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1.	बड़वाह	कुण्डी	299	163.540
2.	बड़वाह	कोठावां	265	291.000
3.	बड़वाह	मोयदा	263	213.480
4.	बलवाडा	नयापुरा	121	122.990
5.	बलवाडा	बामनपुरी	123	20.760
6.	बलवाडा	मधुपुरा (वीरान)	246	113.760
7.	बलवाडा	कालापाठा	133	108.930
8.	काटकूट	चेनपुरा	148	116.960
9.	काटकूट	गवलनपाटी	164	30.730
			योग . .	1182.150

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 25 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1543.—सर्वोदय टेक्सटाइल को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.एच./बी.पी.एल./349, दिनांक 22 फरवरी, 1977 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1421, दिनांक 23 मई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/1337, ग्वालियर, दिनांक 20 जून, 2017 से श्री सतीश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 जुलाई, 2017 के द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने की अनुशांसा की है. इस बावत् संस्था की आमसभा दिनांक 26 जून, 2017 को आयोजित की गई. आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 26 जून, 2017 से संस्था को पुर्नजीवित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्य संस्था को क्रियाशील कर सक्षम इकाई बनाकर सभी सदस्य मिलकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था कार्य संचालन करेंगे.

अतः मैं, श्रीमती अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर परिसमापक की अनुशांसा एवं संस्था के सदस्यों के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था के क्रियाशीलता एवं सक्षम इकाई होने की संभावना के आधार पर मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करती हूँ तथा सदस्यों से अपेक्षा करती हूँ, कि उक्त आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि में संस्था को क्रियाशील कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराये. संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था सदस्यों की निम्नानुसार कमेटी गठित कर कार्यकारिणी समिति को नामांकित किया जाता है:-

1. श्री गजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
2. श्री सुधीर शाह	उपाध्यक्ष
3. श्रीमती शशी शाह	उपाध्यक्ष
4. श्रीमती साधना सिंह	संचालक
5. श्री सतेन्द्र सिंह	संचालक
6. श्री दशरथ धानुक	संचालक
7. श्री भवानी सिंह कुशवाह	संचालक
8. श्रीमती रचना सिंह	संचालक
9. श्री राकेश सिंह तोमर	संचालक
10. श्री विवेक सिंह चौहान	संचालक
11. श्री दृगपाल सिंह तोमर	संचालक

उक्त प्रबंधकारिणी समिति को निर्देशित किया जाता है कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन प्रबंधकारिणी समिति से निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल को विधिवत आवेदन कर निर्वाचन करावें.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1428)

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, गुना

गुना, दिनांक 07 जुलाई, 2017

क्र./परि./2017/1507A.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/205, दिनांक 19 फरवरी, 2014 के द्वारा मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बमोरी जिसका पंजीयन क्रमांक 997, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 है के निष्क्रिय होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया तथा आदेश क्रमांक/205, दिनांक 19 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक की अध्यक्षता में मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बमोरी की आमसभा दिनांक 14 मई, 2017 में पारित निर्णय अनुसार संस्था सदस्यों के संस्था पुर्नजीवित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है. संस्था सदस्यों के द्वारा उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था हित में कार्य करने की सहमति प्रस्तुत की गई है. उक्त के संबंध

में परिसमापक श्री आर. सी. जाटव, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया का परीक्षण करने पर पाया गया कि, संस्था सदस्यों के हितों को संरक्षण दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना एवं उसे पुर्नजीवित करना उचित है।

अतः मैं, भारतीय शेखावत, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मछुआ सहकारी संस्था मर्या, बमोरी का परिसमापन आदेश क्रमांक/परिसमापक/205, दिनांक 19 फरवरी, 2014 को निरस्त करते हुये संस्था को पुर्नजीवित करता हूँ संस्था की आमसभा द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार संस्था के कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक निम्नांकित प्रबंधकारिणी कमेटी नामांकित करता हूँ:-

(1)	(2)	(3)
1.	श्री गिरराजसिंह	अध्यक्ष
2.	श्रीमति नेहाबाई	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रूकसाना	संचालक
4.	श्री ईश्वरलाल	संचालक
5.	श्री जितेन्द्र	संचालक
6.	श्री लालाराम	संचालक
7.	श्री मर्दनसिंह	संचालक
8.	श्री कमरलाल	संचालक
9.	श्री भगरू	संचालक
10.	श्रीमती विमलाबाई	संचालक
11.	श्रीमती जागृतिबाई	

संस्था को निर्देशित किया जाता है कि नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी नियमानुसार तीन माह में विधि अनुसार कार्य प्रारंभ करे एवं निर्वाचन पूर्ण करावे।

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1429)

भारतीय शेखावत,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 12 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1121.—वैष्णवी फल, साग-सब्जी उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., कांटाफोड, देवास पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 18 अगस्त, 2009 को संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र अनुसार जिस उद्देश्य के लिए संस्था का पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति संचालकगण एवं सदस्यों द्वारा नहीं की जा रही है तथा संचालक मण्डल एवं सदस्य संस्था नहीं चलाना चाहते हैं एवं संस्था का एक वर्ष से अंकेक्षण भी नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में कार्यालय पत्र क्रमांक 145, दिनांक 28 जनवरी, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र दिया जाकर जबाव प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपथित नहीं हुआ और न ही कोई जबाव प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वैष्णवी फल, साग-सब्जी उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., कांटाफोड, देवास पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 18 अगस्त, 2009 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती तरुणा ठाकुर, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 12 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1430)

देवास, दिनांक 12 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

रूदाडिया बीज सहकारी संस्था मर्या., करखेडा.

क्र./परि./2017/1122.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोजन के लिये संस्था रूदाडिया बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., करखेडा पंजीयन क्रमांक 1527, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 का पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है और वे संस्था को नहीं चलाना चाहते हैं तथा संस्था का अंकेक्षण भी एक वर्ष से नहीं हुआ है. संस्था संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 01 जून, 2017 में निर्णय लिया गया कि संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की जावे.

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाने से पूर्व इस “कारण बताओ सूचना-पत्र” के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर मुझे यह स्पष्ट करें. उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम की धारा-69(2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.
(1430-A)

देवास, दिनांक 12 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुमड़ावदा.

क्र./परि./2017/1122.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोजन के लिये संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुमड़ावदा पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 07 अक्टूबर, 1985 का पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है और वे संस्था को नहीं चलाना चाहते हैं तथा निर्वाचन अधिकारी/अध्यक्ष एवं सचिव ने अपने आवेदन-पत्र अनुसार संस्था का निर्वाचन संपन्न नहीं कराना चाहते हैं. इस हेतु संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की जावे.

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाने से पूर्व इस “कारण बताओ सूचना-पत्र” के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर मुझे यह स्पष्ट करें उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम की धारा-69(2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.
(1430-B)

बी. एस. कोठारी,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2417.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	शिव शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था, डुमनी	2311/25-07-16
2.	सरस्वती बीज उत्पादक सहकारी संस्था, बोरदा गुर्जर	2233/17-09-15
3.	विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था, भैसाकला	2199/21-08-15
4.	माँ अंजनी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, खड़ोतिया	2171/20-08-15
5.	माँ शीतलामाता बीज उत्पादक सहकारी संस्था, दौत्रु	2170/20-08-15
6.	सुरभी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, राघवी	2138/04-08-15
7.	मंगलम बीज उत्पादक सहकारी संस्था, बैलरी	2043/28-01-15

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 06 जून, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	शिव शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुमनी	2311/25-07-16	स. वि. अधिकारी, खाचरौद
2.	सरस्वती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरदा गुर्जर	2233/17-09-15	स. वि. अधिकारी, तराना
3.	विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसाकला	2199/21-08-15	स. वि. अधिकारी, बड़नगर
4.	माँ अंजनी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खड़ोतिया	2171/20-08-15	स. वि. अधिकारी, बड़नगर
5.	माँ शीतलामाता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौत्रु	2170/20-08-15	स. वि. अधिकारी, बड़नगर
6.	सुरभी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राघवी	2138/04-08-15	स. वि. अधिकारी, महिदपुर
7.	मंगलम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैलरी	2043/28-01-15	स. वि. अधिकारी, तराना

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1431)

उज्जैन, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2418.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	नवदुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था, गैलाखेड़ा	2003/01-01-15

1	2	3
2.	आशावारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, खंडवासुरा	1957/22-12-14
3.	साईराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था, बलेडी	141/14-06-11
4.	मालवा बीज उत्पादक सहकारी संस्था, कचनारिया	138/20-05-11
5.	शारदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था, चकरावदा	137/11-05-11
6.	जय श्री सदगुरू बीज उत्पादक सहकारी संस्था, उमरियाजागीर	136/20-04-11
7.	ओजन बीज उत्पादक सहकारी संस्था, कपेली	130/17-09-10

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 06 जून, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	नवदुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गैलाखेड़ा	2003/01-01-15	स. वि. अधिकारी, महिदपुर
2.	आशावारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खंडवासुरा	1957/22-12-14	स. वि. अधिकारी, बड़नगर
3.	साईराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलेडी	141/14-06-11	स. वि. अधिकारी, बड़नगर
4.	मालवा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया	138/20-05-11	स. वि. अधिकारी, उज्जैन
5.	शारदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकरावदा	137/11-05-11	स. वि. अधिकारी, घट्टिया
6.	जय श्री सदगुरू बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरियाजागीर	136/20-04-11	स. वि. अधिकारी, उज्जैन
7.	ओजन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कपेली	130/17-09-10	स. वि. अधिकारी, तराना

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1431-A)

उज्जैन, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2419.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	पाशर्वनाथ साख सह. समिति मर्या., वेदनगर	100/16-07-2008
2.	नेमीनाथ साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	02/15-10-2014
3.	प्रगति साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	134/30-03-2011
4.	गीताजली साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	126/09-07-2010
5.	विक्रमादित्य साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	110/30-03-2009
6.	मारुतीनंदन क्रेडिट साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	85/25-04-2007
7.	नीलकंठ साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	1/27-12-2000

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 06 जून, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	पार्श्वनाथ साख सह. समिति मर्या., वेदनगर	100/16-07-2008	सी. ई. ओ., उज्जैन
2.	नेमीनाथ साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	02/15-10-2014	सी. ई. ओ., उज्जैन
3.	प्रगति साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	134/30-03-2011	सी. ई. ओ., उज्जैन
4.	गीताजली साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	126/09-07-2010	सी. ई. ओ., उज्जैन
5.	विक्रमादित्य साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	110/30-03-2009	सी. ई. ओ., उज्जैन
6.	मारुतीनंदन क्रेडिट साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	85/25-04-2007	सी. ई. ओ., उज्जैन
7.	नीलकण्ठ साख सह. समिति मर्या., उज्जैन	1/27-12-2000	सी. ई. ओ., उज्जैन

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1431-B)

उज्जैन, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2420.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमला	561/15-09-1981
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुगरिया	1710/31-01-2008
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रजला	860/26-07-1989
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालोद	866/26-07-1989
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बंजारी	786/24-05-1988
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा	770/20-11-1987
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिटिया	725/13-01-1986

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 06 जून, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमला	561/15-09-1981	स. वि. अधि., बड़नगर उज्जैन
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया	1710/31-01-2008	स. वि. अधि., महिदपुर
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रजला	860/26-07-1989	स. वि. अधि., खाचरोद
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालोदा	866/26-07-1989	स. वि. अधि., महिदपुर
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बंजारी	786/24-05-1988	स. वि. अधि., खाचरोद
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा	770/20-11-1987	स. वि. अधि., खाचरोद
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिटिया	725/13-01-1986	स. वि. अधि., खाचरोद

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1431-C)

उज्जैन, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2421.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेलरी	679/30-08-1984
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सततखेड़ी	611/12-04-1984
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्यानजीक	439/20-07-1977
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कजलाना	425/08-03-1977
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीजपड़ी	490/06-09-1980

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 06 जून, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण

कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेलरी	679/30-08-1984	स. वि. अधि., तराना
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सततखेड़ी	611/12-04-1984	स. वि. अधि., खाचरोद
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्यानजीक	439/20-07-1977	स. वि. अधि., खाचरोद
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कजलाना	425/08-03-1977	स. वि. अधि., बड़नगर
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीजपड़ी	490/06-09-1980	स. वि. अधि., तराना

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1431-D)

उज्जैन, दिनांक 07 जुलाई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2422.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	महेश्वर प्राथ. उप. भंडार मर्या., उज्जैन	1798/05-11-2012
2.	इंदिरा महिला प्राथ. उप. भंडार मर्या., उज्जैन	1175/26-07-1994

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 06 जून, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	महेश्वर प्राथ. उप. भंडार मर्या., उज्जैन	1798/05-11-2012	सी. ई. ओ., उज्जैन
2.	इंदिरा महिला प्राथ. उप. भंडार मर्या., उज्जैन	1175/26-07-1994	सी. ई. ओ., उज्जैन

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(1431-E)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 2017-भाद्र 3, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 मार्च, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. **जुताई.**- जिला पन्ना, दमोह, सतना, रीवा में जुताई व बालाघाट में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. **बोनी.**- जिला दमोह, सतना, रीवा व नरसिंहपुर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. **फसल स्थिति-** . .
5. **कटाई.**- जिला गुना में फसल सरसों, चना, अनूपपुर में राई-सरसों व मसूर, कटनी में मसूर, तुअर, बैतूल में गेहूँ, चना, मटर, मसूर व दमोह, सीधी, मंदसौर, शाजापुर, इन्दौर, राजगढ़, भोपाल, खरगौन, खण्डवा व सीहोर, डिण्डोरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**- जिला शहडोल, बड़वानी, रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 मार्च, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4. *जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना, समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उडुद, मक्का, गेहूँ, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. सरसों, चना की फसल	3. . .	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. गुना	. .	की कटाई का कार्य	4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	. .	चालू है.	सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) . .		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		मटर, गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. *जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रबी फसलों का कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ, अन्य सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ चना, मसूर, अलसी, राई, गेहूँ जौ, अन्य सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. गोहपारु	..				
4. जैसिंहनगर	..				
5. बुढार	..				
6. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. राई-सरसों व मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, तुअर, अलसी, राई समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) तुअर,चना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासराटप्पा	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) चना, कपास, गन्ना समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, गेहूँ अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		तुअर, चना समान.		
3. सेगांव	. .		(2) ठीक है.		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) मक्का, ज्वार अधिक. कपास कम. (2) समान.	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .				
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) गेहूँ, चना सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .				
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .				
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . . (2) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .				
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .				
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . . (2) समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .				
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग अधिक. गेहूँ, धनिया कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) सामान्य.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मटर, मसूर की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .				
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना, मटर, मसूर, अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) समान.		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .				
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) समान.		
3. जबलपुर	. .				
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर, तुअर की कटाई चालू हैं.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों अधिक. (2) सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .				
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मसूर,चना, मटर, अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर 100%	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) समान.		
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांडुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हरई	. .				
11. बोलखेड़ा	. .				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी, धान फसल की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बालाघाट	. .		4. (1) समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला ग्वालियर, सागर, नीमच, रतलाम, आगर, झाबुआ व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1433)